-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध कच्ची देशी शराब बनाने वालेअभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद एवं मौके से लगभग 50 किलोग्राम लहन को किया गया नष्ट।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अवैध शराब के बिक्री व निष्कर्षण आदि के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची देशी शराब का निष्कर्षण करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस को गश्त व चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि नौहाई का पुरवा में एक व्यक्ति द्वारा अवैध कच्ची देशी शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर नरैनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अवैध देशी कच्ची शराब का निष्कर्षण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मौके से 10 लीटर अवैध निर्मित कच्ची देशी शराब, शराब बनाने के उपकरण सहित 50 किलोग्राम लहन बरामद हुए। बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

बरामदगी-

- 10 लीटर कच्ची देशी शराब
- अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण- 01 टीन,01 एल्यु भगोना, प्लास्टिक की पाइप, कीप व डिब्बे आदि।
- लगभग 50 किलोग्राम लहन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बाबूराम पुत्र इन्द्रपाल निवासी नौहाई थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 65/26 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खाँ
2. हे0कां0 नागेश कुमार
3. कां0 अजय यादव